समाचार-प्रकाशनार्थ:-

प्राचीन स्थलों को कचरा मुक्त रखने का संकल्प लया
स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत गढकैलाश मंदिर के रहवा सयों और शवभक्तों ने लया अपने क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प

रतलाम 18 दिसम्बर । स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाए जाने के प्रयासों में तेजी आ रही है। हर दिन शहर में कई स्थानों को कचरा मुक्त कया जा रहा है। इन कचरा मुक्त स्थानों पर सफाई मत्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। शुक्रवार को शहर के गढकैलाश मंदिर के रहवा सयों और शवभक्तों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने व स्वच्छता सर्वेक्षण में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का संकल्प लया है। इस क्षेत्र में स्थित अमृतसागर तालाब और इसकी पाल के निकट वर्षो से जमे कचरा स्थल को हटाए जाने का काम निगम प्रशासन निरन्तर करते आ रहा है।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लए नगर पा लक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अ भयान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त कया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मत्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवा सयों और राह गयों को संकल्प दिलाया जा रहा है क मेरा योगदान**ए** मेरी शान**ए** स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग कया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों**ए** बागीचों**ए** खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से कया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अ धकारी एपी संह ने शहरवा सयों से अपील की है क वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान शुक्रवार को सफाई मत्र समूह की टीम ने गढकैलाश मंदिर परिसर सहित आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवा सयों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान कया गया है। इस दौरान को वड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान कया गया क जब तक कोरोना का

कारगर उपचार उपलब्ध नही हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोगए दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

कस्तुरबा नगर टंकी से सफलतापूर्व प्रतिदिन कया जा रहा है पेयजल वतरण

रतलाम 18 दिसम्बर । 14 दिसम्बर सोमवार से कस्तुरबा नगर टंकी से प्रतिदिन पेयजल वतरण की षुरूआत वधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप द्वारा कये जाने के बाद नगर निगम द्वारा टंकी के दोनो झोन के क्षेत्रों में 15ए 16ए 17 व 18 दिसम्बर को प्रातः 06ः15 से 11ः00 बजे के मध्य सफलतापूर्वक निय मत पेयजल वतरण कया गया।

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

गंदगी करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

तत्परता से स्पॉट फाईन नही करने वाले कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 18 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्न स्थानों पर स्था पत सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पु लस कन्ट्रोल रूम पर 3 पा लयों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व मलबा फैलाने व अतिक्रमण करने पर जय के नमकीन जीपीओ रोड पर 250ए हेमु भाई सैलाना बस स्टैण्ड पर 250 व नित्यानन्द ऑटो गैरेज जीपीओ रोड पर 100 रूपये का जुर्माना कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

नगर में गंदगीए मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने वालो पर जुर्माना कये जाने हेतु नियुक्त कर्मचारी जो क तत्परता से संबं धतों पर जुर्माना नहीं कर रहे हैं ऐसे कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी

नालो की सफाई का कार्य निरंतर जारी

रतलाम 18 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर कया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा 18 दिसम्बर शुक्रवार को चम्पा वहारए सुभाष नगर व त्रिलोक नगर वाले नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीनए डम्परए व गैंग द्वारा करवाया गया।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 18 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिशठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

चौमुखी पुल पर सोमवार से लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

बकाया रा श जमा कर अ धभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 46ए22ए854६. संपत्तिकर व 14ए65ए775६. जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया रा श जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 18 दिसम्बर । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (को वड-19द्ध वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गरावटए स र्वस सेक्टर आदि में ष थलता परिल क्षत होने के फलस्वरूप निगम से संबं धत करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया रा ष एक मुष्त जमा कराने पर अ धभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया रा ष जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 26 अक्टूबर से आयोजित कये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष एक मुष्त रा ष जमा कर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 2ए38ए224६. व जलकर 43ए460६.ए मालवा नगर ष वर में संपत्तिकर 3ए66ए429६. व जलकर 43ए830६.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए69ए336६. व जलकर 41ए850६.ए वनोबा नगर पानी की टंकी के पास ष वर में संपत्तिकर 3ए94ए652६. व जलकर 1ए06ए050६.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास ष वर में संपत्तिकर 4ए54ए616६. व जलकर 84ए000६.ए तिरूपति नगर में ष वर में संपत्तिकर 55ए700६. व जलकर 14ए800६.ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 65ए133६. व जलकर 18ए430६.ए इन्द्रलोक नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए04ए310६. व जलकर 37ए520६.ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए63ए070६. व जलकर 41ए200६.ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 54ए244६. व जलकर 31ए700६.ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए87ए800६. व जलकर 13ए500६.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 89ए439६. व जलकर 29ए500६.ए डॉ0 मेहरा न र्संग होम काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए23ए843६. व जलकर 80ए000६.ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 78ए232६. व जलकर 24ए800६.ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 95ए424६. व जलकर 46ए350६.ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 2ए61ए000६. व जलकर 45ए500६.ए लक्कड़पीठा ष वर में संपत्तिकर 2ए58ए000६. व जलकर 90ए310६.ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए39ए000६. व जलकर 1ए58ए845६.ए आनन्द कालोनी ष वर में संपत्तिकर 94ए633६. व जलकर 24ए500६.ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए31ए093६. व जलकर 68ए580६.ए महावीर नगर ष वर में जलकर 45ए550६.ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 5ए91ए492६. व जलकर 1ए31ए930६.ए चौगानिया भेरू मंदिर ष वर में संपत्तिकर 1ए71ए109६. व जलकर 1ए26ए280६.ए सायर चबुतरा षक्षा वभाग के पास आयोजित ष वर में संपत्तिकर 1ए55ए000६. व जलकर 1ए24ए290६. की एक मुष्त बकाया रा ष जमा कराकर दी जा रही अ धभार में

छूट का लाभ लया। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित षवरों मेंें 46ए22ए854६. संपत्तिकर व 14ए65ए775६. जलकर की रा ष जमा कराई।
वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली षवरो के तहत वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेषन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में षवर आयोजित कये गये है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क षासन द्वारा निगम से संबं धत करों की एक मुष्त रा ष जमा कराने पर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ नागरिक अ धक से अ धक ले सकें इस हेतु वार्ड वार षवर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे षवर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुष्त रा ष जमा कर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ सकते है।
कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) से अ धक तथा रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।
इसके अलावा जलकर अ धभार की रा ष रूपये 10ए000६. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 10ए000६. ;दस हजार) से अ धक तथा रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।
इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिषत की छूटए अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) से 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अ धभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/कराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क संपत्तिकर**ए** जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की बकाया रा ष वार्डवार आयोजित बकाया ष वर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त

57 दिनों में **90** वॉल्व व **410** पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 18 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 18 दिसम्बर तक 89 वॉल्व व 406 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 18 दिसम्बर शुक्रवार को जवाहर नगर मुख्य मार्ग**ए** गौशाला रोड**ए** मोहन नगर सखी मार्केट के पास**ए** गौशाला उद्यान के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्ती के साथ ही मोहन नगर वृद्धाआश्रम के पास वाल्व लीकेज को दुरस्त करवाया गया। इसके अलावा बरबड़ मे माड्यलर टायलेट व शवनगर शौचालय में पाईप फटिंग का कार्य करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास**ए** जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य**ए** उपयंत्री श्री सुहास पं डत**ए** श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव**ए** श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

स्वच्छंद वचरण करने वाले 432 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 18 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो**ए** सड़को**ए** चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 18 दिसम्बर तक 432 मवे शयों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 18 दिसम्बर तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 432 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 18 दिसम्बर शुक्रवार को नगर के व भन्न क्षेत्रों से 12 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों**ए** सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा

इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित है**ए** ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा **358** के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर **500** रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये **500**६**.** वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए**0**पी**0** संह**ए** झोन प्रभारी श्री करण चौहान**ए** श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/**18ण12ण2020**ध्न.पा.निगम**ए** रतलाम.